राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 385/2017.. जिला ....जोधपुर..

उनवान : मैसर्स एमीटेक (इण्डिया) प्रा0 लिमि0, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत–तृतीय, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

18/04/2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 001/आरवेट/जेयूई/16–17 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत तृतीय, जोधपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.01.2016 अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 25, 61 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया अवशेष मांग राशि रूपये 48,49,740/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री पंकज घीया तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई की बहस सुनी गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 48,49,740/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे।

पत्रावली वास्ते सुनवाई खण्डपीठ के समक्ष दिनांक 16.06.2017 को पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावें।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर